

## अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

### 2.1 कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019-20 में, वैट/बिक्री कर निर्धारण से संबंधित 45 इकाइयों में से 34 (राजस्व: 32 और व्यय: 02) इकाइयों (कुल 1,84,419 निर्धारण मामलों में से 53,498 कर-निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी) तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच में 1,160 मामलों में ₹ 1,388.90 करोड़ (वर्ष 2018-19 में ₹ 8,998 करोड़ की प्राप्ति का 15.44 प्रतिशत) के कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम


राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कर का अवनिर्धारण	413	579.20
2.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	81	122.22
3.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	73	138.82
4.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	403	448.25
5.	अन्य अनियमितताएं	135	36.69
	<b>कुल (I)</b>	<b>1,105</b>	<b>1,325.18</b>
व्यय			
1.	अप्रचलित वाहनों की नीलामी न करना	13	0.16
2.	रोकड़ बही का रखरखाव न करना	07	0.00
3.	स्टॉक में वैट जी-4 चालान को दर्ज न करना	05	0.00
4.	अन्य अनियमितताएं	30	63.56
	<b>कुल (II)</b>	<b>55</b>	<b>63.72</b>

कुल योग (I+II)	1,160	1,388.90
----------------	-------	----------

स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

चार्ट 2.1  
लेखापरीक्षा के परिणाम


(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

चार्ट 2.2  
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

विभाग ने 197 मामलों में आवेष्टित ₹ 279.55 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थी। विभाग ने 44 मामलों में आवेष्टित ₹ 1.00 करोड़ वसूल किए जिनमें से 21 मामलों में वसूल किए गए ₹ 0.77 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 96.01 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

### 2.3 कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत क्रयों पर कर का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी अंतर्राज्यीय खरीद, माल आयात करने और अपंजीकृत डीलरों से खरीद पर कर लगाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 3.62 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 9 के नियम 49-ए के अनुसार एक डेवलपर अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के एवज में एक विकल्प के रूप में अनुबंध में निर्दिष्ट संपूर्ण कुल राशि के एक प्रतिशत की एकमुश्त चक्रवृद्धि दर पर परिकल्पित एकमुश्त कर का भुगतान कर सकता है। यदि कंपोजिशन डेवलपर राज्य के भीतर या बाहर से पंजीकृत डीलरों के अतिरिक्त अन्य डीलरों से माल को प्राप्त करता है या खरीद करता है, तो वह उस कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो तब देय होती, अगर माल एक पंजीकृत डीलर से राज्य के भीतर खरीदा जाता। आगे, कंपोजिशन डेवलपर भारत के बाहर से आयात सहित राज्य के बाहर किसी भी स्थान से खरीदे और प्राप्त किए गए माल के खरीद मूल्य पर चार प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2018) से पता चला कि {(डी.ई.टी.सी.) (एस.टी.)} गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालय में चार डेवलपर्स जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना था और कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए ₹ 66.84 करोड़ की अंतर्राज्यीय खरीद की, माल का आयात किया और अपंजीकृत डीलरों से खरीद की थी। वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2017), कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) ने भारत के बाहर से आयात सहित राज्य के बाहर किसी भी स्थान से खरीदे या प्राप्त किए गए माल पर चार प्रतिशत की दर पर और राज्य के भीतर या बाहर से पंजीकृत डीलरों के अतिरिक्त अन्य डीलरों से की गई खरीद पर 13.125 प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहीत नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 3.62 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहीत नहीं किया गया था।

मामला सितंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि मामला मार्च 2019 में जांच के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया है। तत्पश्चात् एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू की गई है।

#### 2.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण राजस्व की हानि

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 2.33 करोड़ के आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 1.76 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8(1) के साथ पठित अनुसूची 'ई', प्रविष्टि 3(बी) (iii) के अंतर्गत सितंबर 2015 में जारी अधिसूचना के अनुसार, जब माल खरीद मूल्य से कम बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है, तो ऐसे माल की बिक्री पर आउटपुट टैक्स देयता, यदि कोई हो, की सीमा तक इनपुट टैक्स स्वीकार्य है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त और अक्टूबर 2019 के मध्य) से पता चला कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला छावनी के कार्यालय में एक डीलर ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 201.97 करोड़ मूल्य के मोबाइल फोन खरीदे थे, जिनमें से कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 112.47 करोड़ की स्थानीय खरीद पर ₹ 9.43 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनुमति दी थी। आगे, ट्रेडिंग खाते के अनुसार डीलर ने ₹ 49.95 करोड़ की हानि दर्शायी थी जिस पर आनुपातिक आई.टी.सी. को वापस करना आवश्यक था क्योंकि आई.टी.सी. का लाभ उक्त अधिसूचना के अनुसार केवल आउटपुट कर देयता की सीमा तक स्वीकार्य था। कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2018) ₹ 2.33 करोड़ के आनुपातिक आई.टी.सी. को वापस नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई। आगे, ₹ 1.76 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला नवंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि मामला सितंबर 2019 में स्वतःकार्रवाई के लिए डी.ई.टी.सी.-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी, अंबाला के पास भेजा गया था और मामले का अंतिम परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है (मई 2021)।

2.5 अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल पर इनपुट टैक्स उसके ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। ई.टी.सी. हरियाणा ने मार्च 2006 और जुलाई 2013 में अनुदेश जारी किए कि कर के वास्तविक भुगतान के चरण तक आई.टी.सी. का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माना) का प्रावधान है।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी और अक्टूबर 2018 के मध्य) से पता चला कि 2013-14 और 2014-15 (सितंबर 2016 और मार्च 2018 के मध्य) के लिए आठ<sup>1</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के 24 डीलरों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निम्नानुसार विक्रेता डीलरों से खरीद और कर के वास्तविक भुगतान के सत्यापन के बिना ₹ 9.27 करोड़ के आई.टी.सी. के लाभ की अनुमति दी, जैसाकि नीचे तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2

दावे किए गए अनियमित आई.टी.सी. का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	फर्जी खरीद	कर की दर	फर्जी आई.टी.सी. का दावा	धारा 38 के अंतर्गत पेनल्टी	कुल राशि
1	नारनौल	2	29,31,71,181	5 %	1,46,58,559	4,39,75,677	5,86,34,236
2	गुरुग्राम (दक्षिण)	3	10,13,98,164	5 से 13.125 %	76,64,713	2,29,94,139	3,06,58,852
3	फरीदाबाद (पूर्व)	2	18,27,75,458	5.25 से 13.125 %	98,71,064	2,96,13,192	3,94,84,256
4	गुरुग्राम (उत्तर)	1	23,60,269	5.25 तथा 13.125 %	2,80,386	8,41,158	11,21,544
5	पानीपत	11	43,30,50,930	5.25 तथा 13.125 %	4,88,61,955	14,65,85,865	19,54,47,820
6	जींद	2	5,45,76,182	5.25 से 13.125 %	29,77,310	89,31,930	1,19,09,240
7	झज्जर	1	10,20,02,872	5.25 से 8.40 %	55,73,698	1,67,21,094	2,22,94,792
8	कैथल	2	2,66,66,657	5 तथा 13.125 %	28,58,113	85,74,339	1,14,32,452
	कुल	24	1,19,60,01,713		9,27,45,798	27,82,37,394	37,09,83,192

<sup>1</sup> फरीदाबाद (पूर्व): 2: गुरुग्राम (उत्तर): 1: गुरुग्राम (दक्षिण): 3: जींद: 2: झज्जर: 1: कैथल: 2: नारनौल: 2 और पानीपत: 11

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित

लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित डीलरों की बिक्री और खरीद सूची के क्रॉस-सत्यापन पर यह पाया गया कि या तो विक्रेता डीलरों ने इन डीलरों को कोई बिक्री नहीं दिखाई थी या विक्रेता डीलरों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 27.82 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि सात मामलों में ₹ 7.18 करोड़ की मांग सृजित की गई थी, जिसमें से दो मामलों में ₹ 7.12 लाख की वसूली की गई थी और डी.ई.टी.सी. पानीपत के एक मामले में निर्धारित ने अपील दायर की थी। 12 मामलों में खरीद सत्यापन के लिए पत्र/वैट एन-2 प्रपत्र में सांविधिक नोटिस जारी किए गए हैं। दो मामले पुनरीक्षण के लिए डी.ई.टी.सी.(I)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे तथा शेष दो मामलों में पुनरीक्षण/पुनर्निर्धारण की कार्यवाही

प्रक्रियाधीन है।

विभाग उचित सत्यापन के बाद आई.टी.सी. के लाभ की अनुमति देने के लिए ठोस प्रणाली सुनिश्चित करे तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।

## 2.6 अंतरराज्यीय खरीद का हिसाब न देने के कारण कर का अपवंचन

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अंतरराज्यीय खरीदों पर छिपाए गए टर्नओवर के मामलों के निर्धारण हेतु कार्रवाई नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.92 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 27.89 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2019) से पता चला कि सांविधिक घोषणा-पत्र 'सी' और 'एफ' छः डीलरों को जारी किए गए थे। इन डीलरों ने 2014-15 के दौरान घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध ₹ 53.13 करोड़ की अंतरराज्यीय खरीद एम.पी. के डीलरों से फॉर्म 'एफ' और 'सी' पर की थी। वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश ने इन घोषणा-प्रपत्रों और लेन-देनों की वास्तविकता को सत्यापित करने का अनुरोध किया (जनवरी 2017)। डी.ई.टी.सी. पानीपत ने सत्यापन करने पर मध्य प्रदेश के प्राधिकारी को सूचित किया कि डीलरों को रद्द कर दिया गया था/या एम.पी. डीलरों से कोई खरीद नहीं दर्शाई गई थी।

आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जनवरी से अप्रैल 2019) कि चार डीलरों ने कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया था और दो डीलरों ने किसी अंतरराज्यीय खरीद का खुलासा नहीं किया था। तथापि, सभी छः डीलरों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र 30 जून 2015 (दिनांक जुलाई और सितंबर 2015) से रद्द कर दिए गए थे। यद्यपि कर-निर्धारण प्राधिकारी के पास पर्याप्त सूचना थी, फिर भी कर-निर्धारण प्राधिकारी ने इन मामलों के निर्धारण के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी। अतः कर का निर्धारण न करने तथा अन्तराज्यीय क्रय को छिपाने के लिए पेनल्टी सहित अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.97 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 20.92 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि चार मामलों में ₹ 15.25 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। एक मामले में, डीलर ने निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए कोई रिटर्न दाखिल नहीं की थी और इसलिए, मामले का निर्धारण नहीं किया गया था और एक मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया।

विभाग ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे और कर-निर्धारण प्राधिकारी की जिम्मेदारी तय करे।

### 2.7 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी कर के विलम्ब से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.71 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 14 (6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई भी डीलर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि

भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2018 और अप्रैल 2019 के मध्य) से पता चला कि सात<sup>2</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के 16 डीलरों ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया था। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मई 2017 और मार्च 2018 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारी देय कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ₹ 20.71 करोड़ का ब्याज उद्धृत करने में विफल रहे या कम उद्धृत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.71 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला शहर, गुरुग्राम (पश्चिम) और यमुनानगर ने चार मामलों में ₹ 0.54 करोड़ का ब्याज उद्धृत किया और इसे निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 में उपलब्ध अतिरिक्त क्रेडिट के प्रति समायोजित/वसूल किया गया है। एक मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी पानीपत ने ₹ 0.18 करोड़ का ब्याज प्रभारित किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व एवं पश्चिम) तथा सोनीपत ने बताया कि छः मामलों में ₹ 21.60 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, पानीपत का एक मामला, नए सिरे से जांच के लिए वापस संयुक्त ई.टी.सी. (ए), रोहतक और एक अन्य मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास स्वतः कार्रवाई के लिए भेजा गया। तीन मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पश्चिम) ने डीलर को पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किए। विभाग ब्याज राशि की वसूली सुनिश्चित करे और अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों का कार्यान्वयन न करने के लिए कर-निर्धारण प्राधिकारी की जिम्मेदारी तय करे।

## 2.8 बिक्रियों को छिपाने के कारण कर का अपवंचन

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन/क्रास सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.61 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 13.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य के बाहर निर्यात, माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत

<sup>2</sup> अंबाला शहर 2, गुरुग्राम (पूर्व) 3, गुरुग्राम (पश्चिम) 5, पानीपत 3, सिरसा 1, सोनीपत 1 और यमुनानगर 1.



लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है तो ऐसा प्राधिकारी ऐसे डीलर को सुनवाई के उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किये जाने योग्य है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

जाली कर चालान या माल के फर्जी लेखांकन जारी करके कर के अपवंचन को रोकने के लिए ई.टी.सी., हरियाणा ने एक वर्ष में एकल वैट डीलर से कुल ₹ एक लाख से अधिक के सभी बिक्री/खरीद लेनदेनों के सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए (मार्च 2006)।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2017 और अप्रैल 2019 के मध्य) से पता चला कि नौ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)<sup>3</sup> के कार्यालय में 17 डीलरों ने 2013-14 से 2016-17 के लिए अपने तिमाही/वार्षिक रिटर्न में ₹ 122.43 करोड़ की कुल बिक्री में से ₹ 47.70 करोड़ की बिक्री नहीं दिखाई थी। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने क्रेता के अभिलेखों के संदर्भ में बिक्री के छिपाव के विवरणों का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप

₹ 47.70 करोड़ की बिक्री का छिपाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.61 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 13.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (उत्तर) तथा पानीपत के छः मामलों में ₹ 12.10 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। नौ मामलों में सात डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)<sup>4</sup> ने डीलरों को नोटिस जारी किए तथा निर्धारण कार्यवाही शुरू की गई थी/मामला डी.ई.टी.सी. (I)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था। डी.ई.टी.सी. पानीपत के एक अन्य मामले में डीलर ने निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया था इसलिए, मामले का निर्धारण नहीं किया गया था। डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (दक्षिण) ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया और बताया कि डीलर को व्यवसाय संवर्धन प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। विक्रेता डीलर ने कर की पूरी राशि का भुगतान किया और क्रेता डीलर ने तदनुसार आई.टी.सी. का दावा किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवर्धन प्रोत्साहन को बैलेंस शीट में

<sup>3</sup> अंबाला शहर, फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (दक्षिण), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हांसी, झज्जर, पानीपत और सिरसा।

<sup>4</sup> अंबाला शहर, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हांसी, झज्जर, सिरसा और पानीपत।

दर्शाया नहीं गया था और न ही उसके अभिलेखों में दर्शाया गया है और यह स्पष्ट था कि डीलर ने बिक्री को छिपाया था।

विभाग, सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार एक वर्ष में एकल वैट डीलर से कुल ₹ एक लाख से अधिक के सभी बिक्री लेनदेनों का सत्यापन करे।

## 2.9 अवैध 'सी' फार्मों पर रियायती कर की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.55 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 16.66 करोड़ की पेनल्टी भी उद्गृहीत नहीं की गई।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 8(4) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है, के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र डीलर, कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत न करे और जिसमें प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फार्म में विवरण हों। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माना) का प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने डीलर को कर/रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 में ₹ एक लाख से अधिक अंतर-राज्यीय या अंतर-राज्यीय लेन-देनों के सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2017 और अक्टूबर 2019 के मध्य) से पता चला कि 2013-14 से 2015-16 के लिए 12 डी.ई.टी.सी. (बिक्री कर) के कार्यालय में 54 मामलों में 31 डीलरों<sup>5</sup> ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के डीलरों को की गई ₹ 50.09 करोड़ की अपनी अंतर-राज्यीय बिक्री राशि पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में, डीलरों ने 54 'सी' फॉर्म<sup>6</sup> जमा किए, लेखापरीक्षा ने निर्गम प्राधिकारियों से प्रपत्रों का क्रॉस-सत्यापन किया और पाया कि ये 54 प्रपत्र दोषपूर्ण थे। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अगस्त 2015 और फरवरी 2019 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और पूर्वोक्त अनुदेशों के अनुसार सत्यापन के बिना दाखिल किए गए घोषणा-पत्रों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दी।

<sup>5</sup> अंबाला कैंट: 1, भिवानी: 1, फरीदाबाद (दक्षिण): 1, गुरुग्राम (उत्तर): 5, गुरुग्राम (दक्षिण): 2, जींद: 5, करनाल: 1, कैथल: 1, पलवल: 1, पानीपत: 1, रेवाड़ी: 1 और रोहतक: 11.

<sup>6</sup> अंबाला कैंट: 1, भिवानी: 2, फरीदाबाद (दक्षिण): 1, गुरुग्राम (उत्तर): 8, गुरुग्राम (दक्षिण): 3, जींद: 16, करनाल: 1, कैथल: 3, पलवल: 1, पानीपत: 1, रेवाड़ी: 1 और रोहतक: 16.

प्रपत्रों के क्रॉस सत्यापन पर, एन.सी.टी. दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के राज्य कर अधिकारी ने सूचित किया (मार्च 2019 और जून 2020 के मध्य) कि कुछ मामलों में फॉर्म पहले ही रद्द कर दिए गए थे, बिक्री करने वाले डीलरों को जारी नहीं किए गए थे, फर्म पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी या फर्म का रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद नहीं है, फर्म काम नहीं कर रही है और डीलर भी सही नहीं थे। इस प्रकार, बिना उचित सत्यापन के कर की रियायती दर की अनुमति देने के परिणामस्वरूप कर के रूप में ₹ 5.55 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 16.66 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

मामला फरवरी 2021 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि पांच<sup>7</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) ने सात मामलों में ₹ 5.60 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की थी जिसमें से ₹ 0.14 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। छः<sup>8</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के 14 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे/पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू की गई थी। तीन<sup>9</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के सात मामलों में 'सी' फॉर्म के सत्यापन के लिए पत्र जारी किए गए थे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक और अंबाला कैंट के दो मामले डी.ई.टी.सी. (1)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (उत्तर) का एक मामला वापस भेज दिया गया है।

विभाग उचित सत्यापन के बाद ही अंतःराज्यीय और अंतर-राज्यीय बिक्री पर रियायत देने के अपने अनुदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।

#### 2.10 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 13.125 प्रतिशत की लागू दर के विरुद्ध 5/5.25 प्रतिशत की दर पर कर का गलत उद्ग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.53 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत दरें अनुसूची ए से जी के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अधीन, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज उद्ग्राह्य है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

<sup>7</sup> जींद, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी और रोहतक।

<sup>8</sup> भिवानी, गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण), कैथल, पलवल और रोहतक।

<sup>9</sup> फरीदाबाद (दक्षिण), जींद और रोहतक।

अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2017 और फरवरी 2018 के मध्य) से पता चला कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिए डी.ई.टी.सी (एस.टी.) जींद एवं पंचकुला के कार्यालयों में तीन डीलरों के तीन मामलों में कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2015 एवं जून 2017 के मध्य), माल की बिक्री पर लागू कर की दर से कम कर दरें लागू की, जिनका विवरण तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3

कर की गलत दर लगाने का विवरण

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	निर्धारण वर्ष/निपटान	उपयोगी वस्तु	राशि	सरचार्ज सहित 12.5 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य कर	उद्दूहीत कर (5 प्रतिशत या 5.25 प्रतिशत)	कर का कम उद्ग्राहण	ब्याज	विभाग का उत्तर
1	जींद	1196 दिनांक 13.06.17 2013-14	सीमेंट	2,42,10,525	31,77,631	12,10,526	19,67,105	17,28,430	₹ 22,52,564 की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है (दिसंबर 20)
2	पंचकुला	567 दिनांक 02.11.15 2013-14	इलेक्ट्रॉनिक सामान	3,95,55,108	51,91,608	20,76,643	31,14,965	15,18,026	स्वतः कार्रवाई (दिसंबर 20)
3	पंचकुला	948 दिनांक 04.11.16 2014-15	इलेक्ट्रॉनिक सामान	5,37,99,225	70,61,148	28,24,459	42,36,689	20,73,153	स्वतः कार्रवाई (दिसंबर 20)
कुल				11,75,64,858	1,54,30,387	61,11,628	93,18,759	53,19,609	

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा तैयार विवरण

कर की कम दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.53 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला जनवरी 2021 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि डी.ई.टी.सी. जींद ने ₹ 0.23 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की है। कर मांग नोटिस सहित डीलर को आदेश जारी कर वसूली की कार्यवाही शुरू की गई। डी.ई.टी.सी. पंचकुला ने दो मामलों में सूचित किया कि मामले स्वतः कार्रवाई हेतु डी.ई.टी.सी.-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मैसर्स लाइट ग्राफिक, फरीदाबाद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले के आलोक में उक्त मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। उक्त मामले में, हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि धारा 15(1) के अंतर्गत निर्धारण आदेश को एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 34 के अंतर्गत संशोधन में नहीं लिया जा सकता है। विभाग ने हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में

अपील दायर की है और यह मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है (जून 2021)।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मामलों की विस्तृत जांच करे कि कर दरें एच.वी.ए.टी./सी.एस.टी. अधिनियम के अनुसार लगाई जा रही हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग ऐसे सभी मामलों और सतत् अनियमितताओं की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे जो लेखापरीक्षा के दौरान देखे और प्रतिवेदित किए गए हैं। राज्य को राजस्व की हानि करने वाली अनियमितताओं के ऐसे कृत्यों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्रभावी नियंत्रण स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। विभाग ऐसी सतत् चूक के लिए जिम्मेदार निर्धारण प्राधिकारियों के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई शुरू करे।